न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/19 GCMS id : 2019 / 00016

कुलदीप सिंह टेलर आत्मज स्व. रामसिंह, जाति टेलर, निवासी मकान नम्बर 22/132, मोखापाड़ा, कैथूनीपोल, कोटा

-- (वादी)

बनाम

1. देवकीनन्दन आत्मज पुरूषोत्तम लाल, जाति ब्राम्हण, निवासी सराय का स्थान, कैथूनीपोल, कोटा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

-- (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 16.11.2022

उपस्थिति : श्री दीनानाथ गालव, वादी अभिभाषक
श्री ओम प्रकाश प्रजापति, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय O7R11 CPC

1- प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा सीपीसी बाबत नामंजूर किये जाने वाद, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी में निवेदन किया गया कि –

~ गैरखातेदारी की घोषणा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है।

~ प्रतिवादी क्रम 1 के पास बोराबास की कोई भूमि नहीं है।

~ भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति अथवा चुनौती देने के लिये भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के नियमों तहत ही की जा सकती है, जिसके लिये वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद की धारा 88, 188 का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और प्राथमिक स्तर पर ही दावा खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे।

3- अप्रार्थी (वादी) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ राजस्व परिवर्तन में खातेदार देवकीनन्दन व कुलदीप सिंह का कब्जा है। उक्त आराजी की जुर्माना रशीद में भी दोनों का ही नाम अंकित है। वादी द्वारा पेश घोषणा व खातेदारी के दावे का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

≈ विवादित आराजी ग्राम आंवली पंचायत बोराबास में स्थित है। वादपत्र के चरण 1 में ग्राम बोराबास आंवली अंकित है।

≈ वादी ने उपखण्ड अधिकारी, कोटा को दिनांक 09.02.2010 एवं 15.10.2018 को खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है किन्तु उनके द्वारा खातेदारी दर्ज नहीं करने पर यह दावा पेश किया है। गैरखातेदारी दिनांक 21.06.1999 को ही दर्ज हो गई थी इसलिये उक्त वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।

≈ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी खातेदारी दर्ज नहीं करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

Parthvi 16.11.2022

≈ अतः निवेदन है कि प्रार्थी (प्रतिवादी) ने मात्र वाद को लम्बित करने की गरज से यह वाद प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे खर्चे पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

4- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} & U/s 151 CPC के जवाब पेश होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई –

- प्रार्थी (प्रतिवादी) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी ने राजकीय सिवायचक भूमि पर गैरखातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये यह दावा पेश किया है जबकि गैरखातेदारी की घोषणा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम–1 को आवंटित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति अथवा चुनौती देने के लिये भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के नियमों तहत ही की जा सकती है, जिसके लिये वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद की धारा 88, 188 का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और प्राथमिक स्तर पर ही दावा खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के गत निर्णयों के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –
  ① RRT 2021 (1), Page 535-540
  ② RRT 2019 (2), Page 845-860
- अप्रार्थी (वादी) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी संवत 2050, 2051, 205[illegible] के अनुसार ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा 4.25 हैक्टर पर प्रतिवादी क्रम–1 के साथ ही वादी का भी कब्जा काश्त रहा है। फिर भी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने वादी की जानकारी में लाये बिना गैरकानूनी तरीके से केवल प्रतिवादी क्रम–1 को ही 1.43 हैक्टर आराजी का आवंटन कर दिया है जबकि उक्त आराजी पर एकसाथ कृषि कार्य किये जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 को बराबर आराजी आवंटित करनी चाहिये थी। इसके सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटा को समय समय पर प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा वादी को आराजी की खातेदारी दर्ज नहीं की गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी खातेदारी दर्ज नहीं करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विशेष हर्जे खर्चे पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत (मुख्यतः) निम्नलिखित दशाओं में वादपत्र नामंजूर किये जाने के प्रावधान निर्धारित है –

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है।
(ग) जहां वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है।
(घ) जहां वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(ङ) जहां वाद दो प्रतियों में पेश नहीं किया हो।
(च) वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता हो।

6- प्रार्थी (प्रतिवादी–1) की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी में "न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने" तथा "वाद कारण उत्पन्न नहीं होने" सम्बन्धी Substantial Questions of fact उठाया गया है। उक्त Substantial Questions के निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में हमने, बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} & 151 CPC के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन–अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये विवादित बिन्दुओं का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है –

Pal 16/11/22

"वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना" :

⇒ वादी की ओर से पेश नकल जमाबन्दी संवत 2053–2056 के अनुसार ग्राम आंवली, पटवार हल्का बोरावास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 4.25 हैक्टर राजकीय खाता सिवायचक दर्ज थी।

⇒ मुताबिक खसरा गिरदावरी (प्रपत्र–पी–14) यह सही है कि संवत 2050, 2051, 2053 में प्रतिवादी क्रम–1 के साथ वादी का नाम भी अतिक्रमी के रूप में दर्ज था किन्तु संवत 2056 (वर्ष 1999–2000) की खसरा गिरदावरी के अनुसार विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम–1 का ही कब्जा काश्त दर्शित है अर्थात उक्त उक्त में वादी विवादित आराजी पर काबिज नहीं था। इसी के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 को खसरा नम्बर 260 रकबा 4.25 में से 1.43 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम–1 को आवंटित की गई।

⇒ वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.02.2010 एवं 15.10.2018 को उक्त आराजी की खातेदारी हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का भी उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, कोटा ने पत्र क्रमांक राजस्व ए/18/2788 दिनांक 01.11.2018 से वादी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त करने बाबत अवगत कराया गया था, जिसके आधार पर वादी ने इस न्यायालय में यह दावा पेश किया है जबकि यह न्यायालय आवंटन का सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

⇒ वर्तमान में प्रतिवादी क्रम–1 की गैरखातेदारी में जो आराजी दर्ज है, वह उसे आवंटन से प्राप्त हुई है। उक्त आवंटन की शर्तो की पालना के आधार पर ही आज भी खसरा नम्बर 260 की 1.43 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की गैरखातेदारी में दर्ज है।

⇒ खातेदारी की घोषणा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है किन्तु गैरखातेदारी की घोषणा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि गैरखातेदारी आवंटी को ही दी जा सकती है। चूंकि वादी आवंटी नहीं है। वादी की ओर से पेश खसरा गिरदावरी में भी उसे अतिक्रमी के रूप में काबिज बताया है किन्तु उसके नाम से आवंटन नहीं हुआ है।

⇒ प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में भी उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 260 की आराजी का कुल रकबा 4.25 हैक्टर था जिसमें से प्रतिवादी को 1.43 हैक्टर ही आवंटित की गई थी। शेष आराजी को अपने नाम आवंटन करवाने की कार्यवाही पर प्रतिवादी ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

⇒ उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिवायचक आराजी का आवंटन करने और किसी राजकीय आराजी पर अतिक्रमी को गैरखातेदारी की घोषणा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः विधि द्वारा वर्जित होने से वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने में यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

"वाद कारण उत्पन्न नहीं होना" :

⇒ मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2056 (वर्ष 1999–2000), विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम–1 का कब्जा होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत ही दिनांक 21.06.1999 को प्रतिवादी क्रम–1 को ग्राम आवंली की आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 1.43 हैक्टर का आवंटन किया गया है तथा इंतकाल संख्या 305 दिनांक 15.04.2000 से गैरखातेदारी दर्ज की गई है।

⇒ वादी ने विवादित आराजी को खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, कोटा को दिनांक 09.02.2010 एवं 15.10.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जबकि प्रतिवादी को उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 21.06.1999 को ही हो चुका था अर्थात वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 21.06.1999 को ही उत्पन्न हो चुका था।

⇒ वादी ने वादपत्र की मद संख्या 9 में दिनांक 16.11.2018 को वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख किया है, जो अपने वाद में वाद का कोई न कोई मिथ्या कारण दर्शाने के लिये अंकित किया है क्योंकि वादी के लिये वाद कारण तो दिनांक 21.06.1999 को ही उत्पन्न हो चुका था।

⇒ वैसे भी कानूनन आवंटित आराजी पर ही गैरखातेदारी प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार वादी को इस न्यायालय में यह दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा इस प्रार्थना पत्र में उठाये गये Substantial Questions न्याय की कसौटी पर तार्किक व विधिसंगत है। इस प्रकार वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया दावा, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार वाद कारण (हेतुक) प्रकट नहीं होने तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में वादी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अनुसार भी, इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुये वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

धउनवान –

कुलदीप सिंह टेलर आत्मज स्व. रामसिंह, जाति टेलर, निवासी मकान नम्बर 22/132, मोखापाडा, कैथूनीपोल, कोटा

– (वादी)

बनाम

1. देवकीनन्दन आत्मज पुरूषोत्तम लाल, जाति ब्राम्हण, निवासी सराय का स्थान, कैथूनीपोल, कोटा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 10 / 19
निर्णय दिनांक : 16-11-2022

GCMS id : 2016 / 00016

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री ओम प्रकाश प्रजापति की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. की बहस सुनने के बाद आज तारीख 16–11–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार वाद कारण (हेतुक) प्रकट नहीं होने तथा न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुये वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

-- खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16 नवम्बर, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह--व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		